

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उचित भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्फाल शिड्यो केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 764 दिनांक 11/11/2020

प्राथी लखन सिधनी डा. पी. डी. डी. सिधनी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No. 85 ग्राम - जोधपुर

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर संख्या 775/72 के तहत

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 19844/- पंजाब नगर केसरी नगर

जरिये रसीद संख्या 2069/2020, 2021

दिनांक 11/11/2020 को जमा करा दी है ।

[Signature] 11/11/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय